

SCMS
2020/00079
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. रमेश कुमार

हलका... भूका ववातसिंह

पुत्र श्री सोवलाकाम जाति... भारत

निवासी... भूका ववातसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 76 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका... भूका ववातसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2000 में मौजा... भूका ववातसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा... 800 वर्ग फी... किस्म भूमि... गोधपुर पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पीछली अधिकारी का कार्य हेतु गोधपुर पधार है। पत्रावली दिनांक 18-1-2021 को पेश है। 11-01-2021	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देते भवतर दिनांक 27-01-2021 को पेश है।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल की तरफ से उनके वकील से उपस्थित होकर जवाब हेतु साफल-याद की दिनांक 10-02-2021 के पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीगलीन अधिकारी मात उभुटी पर सिवाना पधार है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 के पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थित। गैर साफल के जवाब हेतु अन्तिम भवत दिनांक 22-2-2021 के पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपास्थित। गैर साफल के बार-बार भवत दिने जागे के उपरान्त भी कोई विधि साफल साफल प्रस्तुत नहीं किने गैर साफल के अतिरिक्त मानते हुए पत्रावली फेलत सुगार है। निर्णय भवत से लिखा जाकर शक्ति पत्रावली है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

